न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/25)

महावीर प्रसाद पुत्र श्री स्व. हनुमानप्रसाद उर्फ हनुमान जाति मेधवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक।
2. भादरराम पुत्र आदूराम जाति मेधवंशी निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड इ.गा.न. प. भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री गगन मोदी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 भादरराम ने ए.सी./एस.डी.ओ. नोहर में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर वाके रोही मौजा चक नं. 26 डीपीएन के प.न. मु.नं. 332/441 (21) के किला नं. 1 प 2 दर्ज गैरमुमकिन भूमि खाला की बजाय गैरमुमकिन रास्ता भूमि दर्ज करने व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी, मुताबिक पर्चा खतौनी दुरूस्त करने का आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोहर जिला हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही मौजा चक 26 डीपीएन के प.न. मु.नं. 332/441 (21) के किला नं. 1 व 2 में दर्ज गैरमुमकिन खाला के स्थान पर गैरमुमकिन रास्ता भूमि दर्ज करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन कर जमाबन्दी मे संशोधन करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट महावीर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रसाद द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2017 निरस्त कर चक डीपीएन के मु.नं. 332/441 (21) के किला नं. 1 में व 2 में गैर मुमकिन खाला दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। गई। रेस्पोडेन्ट सं. 3 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम सोती के चक 26 डीपीएन का मु.नं. 332/441 (21) में 8 बीधा भूमि अपीलान्ट की है, जिसमे सिचाई विभाग ने सिचाई की सुविधा हेतु खाला दिया हुआ है। जिसके मु. नं. 331/441 के नक्के से पानी दी जाने की स्वीकृति रेस्पोडेन्ट नं. 3 द्वारा इरिगेसन एवं डरनाइज एक्ट के प्रावधानो के अनुसार दी हुई है, इसके लिए प्रार्थी के मु.नं. 332/441 के किला नं. 1 व 2 में कच्चे खाले का फाक है। जिसमें अपीलान्ट के रकबे को पानी मिलता है। अपीलान्ट के पिता श्री हनुमान प्रसाद ने एक सिविल वाद नोहर में पेश किया जिसमें सिविल न्यायाधीश नोहर द्वारा चक 26 डीपीएन का मु.नं. 332/441 के नक्के से लगातार पानी देने का आदेश दिया, इस आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट ने तथ्य को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 मे वर्णित नियमो की अनदेखी कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट नं. 2 को फायदा पहुचाने की नियत से कानून विरूद्व निर्णय दिया है। किसी भी काश्तकार की सिचाई सुविधा इरिकेशन एव डरनाइज एक्ट के प्रावधानो के अनुसार की बंद हो सकती है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा एक वाद 49/2012 काशीराम बनाम हनुमानप्रसाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी नोहर में पेश किया जो दिनांक 09.06.2014 को खारिज किया गया है, इस तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 के सहयोगी काशीराम ने उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे पेश की जो दिनांक 12.04.2017 को खारिज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार था जो न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था किन्तु उसे पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2017 को निरस्त कर चक 26 डीपीएन के मु.नं. 332/441 (21) के किला नं. 1 में व 2 में गैर मुमकिन खाला दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि मु. नं. 21 के किला नं. 1 व 2 में कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा 1964 में पर्चा खतौनी तैयार की उसमें दो–दो बिस्वा भूमि रास्ता की गैर मुमकिन भूमि दर्ज है। किला नं. 1 व 2 में खाला नही है, रास्ता है, रास्ते को रोक कर खाला बनाया गया है। मोके पर रास्ता चल रहा है। अपीलान्ट ने एक दावा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर में प्रकरण सं. 99/2014 महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य वगैरह पेश किया जो दिनांक 16.01.2018 को खारिज किया जा चुका है। उक्त भूमि अपीलान्ट की नही है, रास्ते की भूमि है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनाक 27.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नही है इसलिए धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे दिनांक 12.07.2017 को स्वीकार किया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा चक डी पी एन के पं.नं. 332/441 (21) के किला नं. 1 व 2 गैर मुमकिन खाला के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण सं. 49/2012 अन्तर्गत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

धारा 251 'A' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय दिनांक 09.06.2014 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2 का प्रार्थना पत्र पं.नं. 332/441 के किला नं. 1 व 2 में खाला स्वीकृत होने के आधार पर खारिज किया गया है। इसी प्रकार उक्त प्रकरण के अन्य प्रार्थी काशीराम के द्वारा धारा 8 (2) उपनिवेशन अधिनियम का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जो कि उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 09.06.2014 को खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा 12.04.2017 को खारिज की जा चुकी है। इन सभी कार्यवाहियो में अपीलान्ट के पिता पक्षकार रहे, इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी नोहर में बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये अपीलाधीन प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रस्तुत किया। प्रथमतः प्रस्तुत प्रकरण 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आता है। द्वितीय उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज हो चुके है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 को अपास्त किया जाता है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर